इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2013—माघ 12, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. एफ-14-20-2012-बयालीस(1).—राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि शैक्षणिक सत्र 2013-14 से निम्नलिखित पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में स्वीकृत इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन पाठ्यक्रम को बंद कर उसके स्थान पर तीन वर्षीय डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम संचालित किया जाए :—

क्र.	संस्था का नाम	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)
1.	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, भोपाल.	पूर्व से ही डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम संचालित है.
2	इंदौर पोलीटेकनिक महाविद्यालय, इंदौर.	
3.	शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ग्वालियर.	डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम अगले सत्र से प्रारंभ किया जाए.
4.	शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, होशंगाबाद.	

2. यह संस्थायें नवीन पाठ्यक्रम के संचालन के लिए ए. आई. सी. टी. ई. से संबद्धता प्राप्त करेंगे.

3. संबंधित संस्था में इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाइन पाठ्यक्रम का संचालन बंद होने के उपरान्त, उक्त पाठ्यक्रम के लिए स्वीकृत शैक्षणिक स्टाफ आर्किटेक्चर एण्ड इंटीरियर डिजाईन पाठ्यक्रम के शिक्षण में सहयोग करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. एफ. 9-2-2006-अट्ठावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल्स 74(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, निगम के संचालक मण्डल में श्री प्रदीप उपाध्याय, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल को निगम के संचालक मण्डल में सदस्य के रूप में पुन: मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2013

फा. क्र. 1-अ-18-3-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से परामर्श उपरान्त श्री ऋषभदास जैन महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर को मध्यप्रदेश राज्य में उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय हेतु उनके द्वारा अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2013

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-3-2000-छ:, दिनांक 29 जून 2000 के द्वारा गठित मंदिर समिति का कार्यकाल हो जाने के कारण उसे अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, भोपाल, सीहोर एवं रायसेन जिले में स्थित मंदिरों की व्यवस्था एवं मरम्मत तथा निगरानी के लिए इस आदेश के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से तीन (3) वर्ष की कालावधि के लिये निम्नानुसार मंदिर समिति गठित करता है, अर्थात :—

1	आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल.	अध्यक्ष
2	सहायक विकास आयुक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय, भोपाल.	सचिव एवं कोषाध्यक्ष

अशासकीय सदस्य

1	जिला-भोपाल	(1) श्री रमेश शर्मा (गुट्टू भैया), स्टेशन रोड, भोपाल. (2) श्री ओम मेहता—मारवाड़ी रोड, चौक, भोपाल. (3) श्री आलोक शर्मा—38 ए काजीपुरा जुमेराती, भोपाल. (4) श्री ललित जैन—28 काजीपुरा गली नं. 2, जुमेराती, भोपाल. (5) श्री कृष्ण गोपाल गहानी—13/21, विजय नगर कालोनी, लालघाटी, टाटा शोरूम के पीछे, भोपाल. (6) श्री संजय अग्रवाल, ए/2 पीएनबी कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल.
2	जिला-रायसेन	(1) श्री स्वामी नवीनानंद, दाहोद आश्रम मंडीदीप, रायसेन. (2) श्री चंद्रप्रकाश शर्मा (आचार्य) शास्त्री, वार्ड नं.-14, राहुल नगर, रायसेन.
3	जिला-सीहोर	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा आ. श्री परमानन्द शर्मा, शास्त्री कालोनी, नसरुल्लागंज, सीहोर.

2. समिति, सीहोर भोपाल तथा रायसेन जिले में स्थित मंदिरों की व्यवस्था एवं मरम्मत के लिये उत्तरदायी रहेगी. समिति शासन द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले अनुदानों का उचित उपयोग तथा उसके लेखों का सही हिसाब किताब रखने के लिये उत्तरदायी रहेगी.

3. उक्त समिति अपना कार्य शासन द्वारा अनुमोदित कार्य नियमावली के अनुसार करेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्र, उपसचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. एफ 1(ए) 166-89-ब-2-दो.—श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 14 से 24 जनवरी 2013 तक, कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 12, 13, 25, 26 एवं 27 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., के अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री डी. श्रीनिवास राव, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता (जी), मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाण्डेय, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. एफ 1 (ए) 54-2000-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2012 द्वारा श्री के. एस. राठौर, भा.पु.से., उपनिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जे. एन. पी. ए., सागर को दिनांक 2 से 16 नवम्बर, 2012 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश को करते हुए श्री के. एस. राठौर, भा.पु.से., को दिनांक 14 से 28 जनवरी 2013 तक कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13 जनवरी, 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है.

(3) पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 2 नवम्बर, 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी.

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. एफ 1 (ए) 107-08-ब-2-दो.—श्री जे. एस. कुशवाह, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक (रेल), इन्दौर को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21 से 31 जनवरी 2013 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् ''अंडमान-निकोबार'' की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री जे. एस. कुशवाह	स्वयं
2.	श्रीमती अनिता सिंह	पत्नी
3.	शुभांशू सिंह	पुत्र
4.	अभिजीत सिंह	पुत्र

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. एफ 1 (ए) 101-08-ब-2-दो.—श्री एस. पी. सिंह, भा.पु.से., सेनानी 24 वी वाहिनी, विसबल, जावरा, जिला रतलाम को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 21 जनवरी से 15 फरवरी 2013 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 19, 20 जनवरी 2013 एवं 16, 17 फरवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लॉक वर्ष 2012-13 में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् ''त्रिवेन्द्रम (केरल)'' की अवकाश यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1.	श्री एस. पी. सिंह	स्वयं
2.	श्रीमती तनुजा सिंह	पत्नी
3.	मोहित	पुत्र
4.	पल्लवी	पुत्री

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. एफ-3-83-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 ''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्र. एफ-3-83-2012-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च 2012 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भूमि उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम				
	फतेहपुर	144	9.62 हेक्टे. में से 1.60 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक
	डोबरा	151	12.50 हेक्टे. में से 9.60 हेक्टेयर		
		कुल योग . .	11.20 हेक्टेयर		

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना—2005 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. 91-2149-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्डों का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिलों के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्डों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्डों और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	झाबुआ	झाबुआ	1. श्री अजय सोनी	सदस्य
			2. श्रीमती निवेदिता सक्सेना	सदस्य

(1)	(2)	(3)		(4)	
2.	अशोकनगर	अशोकनगर	1.	डॉ. वाय. डी. अग्रवाल	सदस्य
			2.	श्रीमती वीणा कयाल	सदस्य
3.	राजगढ़	राजगढ़	1.	श्री साकेत शर्मा	सदस्य

No. 91-2149-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Boards & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue Districts)	Name of the Honorary Social Workers		
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Jhabua	Jhabua	1.	Shri Ajay Soni	Member
			2.	Ms. Neevedita Saxena	Member
2.	Ashoknagar	Ashoknagar	1.	Dr. Y. D. Agarwal	Member
			2.	Smt. Veena Kyal	Member
3.	Rajgarh	Rajgarh	1.	Shri Saket Sharma	Member

क्र. 91-2149-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समितियों का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है और उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समितियों के मुख्यालय के जिलें	अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले (राजस्व-जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम		
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	झाबुआ	झाबुआ	1.	श्री शैलेश दुबे	अध्यक्ष
			2.	श्री संजय मिश्रा	सदस्य
			3.	श्री अशोक त्रिवेदी	सदस्य
			4.	श्री दिपेश सकलेचा	सदस्य
			5.	श्रीमती भारती भाटी	सदस्य
2.	अशोकनगर	अशोकनगर	1.	श्री भूपेन्द्र सिंह रघुवंशी	अध्यक्ष
			2.	श्रीमती मंजू साडाना	सदस्य
			3.	श्री लखन लाल शर्मा	सदस्य
			4.	श्रीमती ऋचा शर्मा	सदस्य
			5.	श्री राजेश आदित्य शर्मा	सदस्य

No. 91-2149-12-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in the column (2) of the schedule below, for the Districts as specified in the column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue Districts)	Name of the Honorary Social Workers		
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Jhabua	Jhabua	1.	Shri Shelesh Dubey	Chair Person
			2.	Shri Sanjay Mishra	Member
			3.	Shri Ashok Trivedi	Member
			4.	Shri Dipesh Saklecha	Member
			5.	Smt. Bharti Bhati	Member
2.	Ashoknagar	Ashoknagar	1.	Shri Bhupendra Singh Raghuvansi	Chair Person
			2.	Smt. Manju Sadana	Member
			3.	Shri Lakhanlal Sharma	Member
			4.	Smt. Richa Sharma	Member
			5.	Shri Rajesh Aditya Sharma	Member

क्र. 93-2013-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को नियुक्त करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ता का नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	1.	श्री संजय साहू

S. No. 93-2013-2012-L-2.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Workers as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Narshingpur	Narshingpur	1.	Shri Sanjay Sahu

क्र. 94-2148-2012-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट निम्नलिखित किशोर न्याय बोर्ड का गठन, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये करती है और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिलों के नाम	सामाजिक कार्यकर्ता के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बालाघाट	बालाघाट	1. श्रीमती मीना सक्सेना 2. श्री भारत मेश्राम

No. 94-2148-2012-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the schedule below, for the District as specified in column (3) and appoints Social Worker as specified in the column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Worker
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balaghat	Balaghat	1. Smt. Meena Saxena 2. Shri Bharat Meshram

क्र. 94-2148-12-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट बाल कल्याण समिति का, उसके (अनुसूची के) कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये गठन करती है, और उसके (अनुसूची के) कॉलम (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित व्यक्तियों को नियुक्त करती है :—

अनुसूची

अ. क्र.	बाल कल्याण समिति के मुख्यालय का जिला	अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले (राजस्व-जिले)	अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	बालाघाट	बालाघाट	1. श्री प्रकाश चन्द्र बाद्यरेचा	अध्यक्ष
			2. श्रीमती शीला सिंह	सदस्य
			3. डॉ. नीरज अरोरा	सदस्य
			4. श्रीमती सरला कांकरिया	सदस्य
			5. श्री सुशील जैन	सदस्य

No. 94-2148-12-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of the Section 29 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000, the State Government hereby Constitute the following Child Welfare Committee as specified in column (2) of the schedule below, for the District as specified in the

column (3) and appoints Social Workers as specified in column (4) respectively thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Committee under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Child Welfare Committees & its District Head Quarter	Jurisdiction (Revenue District)	Name of the Honorary Social Workers		
(1)	(2)	(3)		(4)	
1.	Balaghat	Balaghat	1.	Shri Prakash Chand Baghrecha	Chair Person
			2.	Smt. Sheela Singh	Member
			3.	Dr. Neeraj Arora	Member
			4.	Smt. Sarla Kankariya	Member
			5.	Shri Sushil Jain	Member

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2012

क्र. एफ 11-2-2012-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-2-2012-तीस, दिनांक 25 मई, 2012 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र" में, दिनांक 15 जून 2012 को किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्र. 2150-अ. पु. सं. स.-2012, दिनांक 11 सितम्बर 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	ग्वालियर	बैहट	गढ़ी	ग्राम बैहट प. ह. न. 155	706	0.470 हेक्टेयर	शासकीय आबादी गोठान	नहीं

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अत: राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

क्र. एफ 11-8-2011-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-8-2011-तीस, दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में, दिनांक 30 सितम्बर 2011 को किया गया था.

2. आयुक्त, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के पत्र क्र. 477-अ. पु. सं. स.-2012, दिनांक 21 मई 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं है. आयुक्त, पुरातत्व ने उक्त स्मारक को संरक्षित घोषित करने की अनुशंसा की है.

3. अत:, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व क्षेत्र जो क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
म. प्र.	भोपाल	हुजूर नजूल शहर भोपाल वृत्त	इतवारा रोड	मौलाना आजाद सेन्ट्रल लायब्रेरी, केन्द्रीय पुस्तकालय (अजायबघर)	खसरा नंबर 1244	कुल रकबा 13.44 एकड़ में से 0.54 एकड़	महकमा बागात	शिक्षा विभाग के अधीन है

4. राज्य शासन का यह भी प्रस्ताव है कि उक्त संरक्षित स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों पर किसी भी प्रकार का उत्खनन अथवा निर्माण पुनरूद्धार का कार्य आयुक्त पुरातत्व एवं अभिलेखागार मध्यप्रदेश भोपाल की अनुमति तथा निर्देशन में के अतिरिक्त प्रतिषिद्ध किया जावे, अत: राज्य शासन उक्त स्मारक/पुरातत्वीय स्थल/अवशेष के चतुर्दिक 200 मीटर की परिधि में स्थित भूमियों तथा भवनों के स्वत्वधारियों से अपेक्षा करता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 45 दिवस के भीतर अथवा स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर जो भी बाद में हो, उक्त प्रस्ताव के संबंध में अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, संबंधित जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर दें तथा सुनवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित समय एवं स्थान पर उपसंजात हों.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अपर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी 2013

क्र. एफ-1-2-2010-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य शासन, एक **नवीन तहसील बैराढ़, जिला शिवपुरी** सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील पौहरी, जिला शिवपुरी की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

2. इस प्रस्ताव पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	बैराढ़	बैराढ़	पोहरी	वर्तमान तहसील पोहरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल बैराढ़ वृत्त-01 के पटवारी हल्का नम्बर 1 लगायत 31 (31), राजस्व निरीक्षक मण्डल पोहरी-2 के पटवारी हल्का नम्बर 32 लगायत 40, 44 (10) इस प्रकार कुल 41 पटवारी हल्के अपवर्जित होकर प्रस्तावित तहसील बैराढ़ में कुल 41 पटवारी हल्के शामिल होंगे, जिनमें कुल 114 ग्राम शामिल होंगे.	**पूर्व में**—तहसील ग्वालियर. **पश्चिम में**—तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर **उत्तर में**—तहसील जौरा, जिला मुरैना. **दक्षिण में**—पोहरी.

क्र.	शेष तहसील	मुख्यालय	शेष तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02	पोहरी	मुख्यालय		वर्तमान तहसील पोहरी के राजस्व निरीक्षक मण्डल पोहरी-02 के पटवारी हल्का नम्बर 41 लगायत 62 (21), राजस्व निरीक्षक मण्डल, छर्च-03 के पटवारी हल्का नम्बर 63 लगायत 90 (28) कुल 49 पटवारी हल्कों के 140 ग्राम शेष रहेंगे.	**पूर्व में**—तहसील शिवपुरी. **पश्चिम में**—तहसील कराहल, जिला श्योपुर. **उत्तर में**—प्रस्तावित तहसील बैराढ़. **दक्षिण में**—तहसील कोलारस.

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. एफ. 67-2-12-तीन-108.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर** के आम निर्वाचन में **श्री सुरेश कुमार,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. 166-न.प.नि.-स्था.निर्वा.-11-12, दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री सुरेश कुमार** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री सुरेश कुमार** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री सुरेश कुमार को नोटिस दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 22 मई 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर **अनूपपुर** ने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2012 में लेख किया कि **"श्री सुरेश कुमार द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है."** आयोग द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री सुरेश कुमार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2013

क्र. एफ. 67-2-12-तीन-109.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह जनवरी 2012 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर** के आम निर्वाचन में **श्री मानिक सिंह उरैती,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर परिषद् अमरकंटक, जिला अनूपपुर** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 13 जनवरी 2012 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 12 फरवरी 2012 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूपपुर के पत्र क्र. 166-न.प.नि.-स्था.निर्वा.-11-12, दिनांक 31 मार्च 2012 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री मानिक सिंह उरैती** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री मानिक सिंह उरैती** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2012 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, अनूपपुर के माध्यम से दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ नोटिस के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री मानिक सिंह उरैती को नोटिस दिनांक 7 मई 2012 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 22 मई 2012 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरान्त कलेक्टर **अनूपपुर** ने अपने पत्र दिनांक 26 अगस्त 2012 में लेख किया कि **''श्री मानिक सिंह उरैती द्वारा आज दिनांक तक व्यय लेखा / अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.''** आयोग द्वारा दिनांक 10 सितम्बर 2012 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 20 नवम्बर 2012 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली कलेक्टर अनूपपुर द्वारा दिनांक 5 अक्टूबर 2012 को कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अत: आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री मानिक सिंह उरैती** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत अमरकंटक, जिला अनूपपुर** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. क-व.लि.-2013.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 04 के पैरा 05 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एम-3/23/1999/1/4, दिनांक 30 मार्च 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, **आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर** वर्ष 2013 के लिये बुरहानपुर जिले की सीमा क्षेत्र हेतु निम्नानुसार दर्शाई गई तिथियों में तीन स्थानीय अवकाश (LOCAL HOLIDAY) घोषित करता हूं :—

क्रमांक	दिनांक	दिन	त्यौहार	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	05-09-2013	गुरुवार	पोला	(सम्पूर्ण जिला)
2.	19-09-2013	गुरुवार	अनन्त चर्तुदशी का दूसरा दिन	(सम्पूर्ण जिला)
3.	02-11-2013	शनिवार	रूप चौदस	(सम्पूर्ण जिला)

यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 151-बी-121-2012-13.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-11-1-2010-सात-शा-6 भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2012 एवं मध्यप्रदेश शासन, भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 2(1) य-5 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, अनुसूची में वर्णित मजरा-टोला को राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

तहसील-बाड़ी, जिला रायसेन

क्रमांक	मूल ग्राम का नाम प. ह. नं.	वर्तमान क्षेत्रफल (हैक्टर में)	घोषित राजस्व ग्राम (मजरा टोला का) नाम प. ह. नं.	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	घोषित ग्राम की जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गांजीखेड़ी 31	121	सिलगोना टोला	121	210

मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-11-12-भू.अ.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	शहपुरा	पिपरियाकलां प.ह.नं. 37 न. ब. 244	0.10	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण वि. सेतु निर्माण संभाग, जबलपुर	सड़क एवं पुल निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पाटन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 1 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-12-13-भू-अर्जन-.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	गुलाबगंज	नौलास	0.613	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग, विदिशा.	मढीपुर-अम्बर-नौलास मार्ग के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी, ग्यारसपुर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 15 जनवरी 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-12-13 सा-1 सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किया गया रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)
रायसेन	सिलवानी	रम्पुराखुर्द	85/1	2.003	0.448	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, लिमिटेड, भोपाल.	सिलवानी सुल्तानगंज जयसिंहनगर - सागर (एस. एच.-15) मार्ग पर टोल प्लाजा का निर्माण.
			85/3	2.124	0.100		
			86/1/2, 91 164, 91 3/2/1	0.570	0.030		
			योग . .	4.697	0.578		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, तहसील सिलवानी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहनलाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. 66-भू.अर्जन-देपालपुर-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 ''अ'' के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) (4) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे.में.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	देपालपुर	छोटी कलमेर	0.566	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण, इन्दौर संभाग इन्दौर.	देपालपुर तहसील के ग्राम छोटी कलमेर (चांदेर के समीप) देपालपुर केसूर मार्ग के कि. मी. 9/6 पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय चम्बल नदी पर पुल के पहुंच मार्ग के निर्माण बावद्.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 10 जनवरी 2013

क्र. 303-10-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894, संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	अनूपपुर	पाली	0.549	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, अनूपपुर	पाली जलाशय योजना के नहर कार्य का पूरक भू-अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, कार्यालय, अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. 98-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भीकनगांव	बिरूल	0.820	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	मालखेड़ा तालाब योजना के डूब क्षेत्र हेतु.

नोट.—(2) भूमि के नक्शे व (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. 102-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	सुखपुरी	3.185	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन	खारक जलाशय योजना की लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 101-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	भगवानपुरा	नया बिलवा	14.040	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	खारक जलाशय योजना की मुख्य एवं लघु नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे व (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 207-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	देवरा	0.416	कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग-रीवा (म. प्र.)	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी मुख्य नहर में आने वाली भूमियों के लिये तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2013

क्र. 620-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि—					
राजगढ़	राजगढ़	लालपुरा	3.588	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	गोरखपुरा तालाब की नहर निर्माण में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
–''–	–''–	कुशलपुरा	0.544		
–''–	–''–	दलेलपुरा	3.240		
		योग . .	7.372		
डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि—					
राजगढ़	राजगढ़	परसपुरा	6.308	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़	गोरखपुरा तालाब के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि का अर्जन.
–''–	–''–	कुशलपुरा	9.328		
–''–	–''–	रोज्या	0.600		
		योग . .	16.236		
		कुल योग . .	23.608		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 26 दिसम्बर 2012

क्र. 3706-भू-अर्जन-सांवेर-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—इन्दौर
(ख) तहसील—सांवेर
(ग) नगर/ग्राम—बुढानियापंथ एवं पोटलोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 एवं 0.006 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—बुढानियापंथ	
28	0.008
41/1 पार्ट	0.200
42/2 पार्ट	0.087
42 पार्ट	0.205
योग :	0.500
ग्राम—पोटलोद	
3 पार्ट	0.006
योग :	0.006
महायोग :	0.506

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—रतलाम-महू-खण्डवा आमान परिवर्तन परियोजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

तेन्दूखेड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2013

प्र. क्र. 03-अ-82 वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा
(ग) ग्राम—चरगुवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.858 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
60/7	0.016
60/12	0.006
60/8	0.010
36/2	0.041
119/1	0.006
120/2, 121/2, 123/13	0.002
120/3, 121/3, 123/14	0.007
120/1, 121/1, 123/6	0.043
25/1	0.129
24/2	0.072
23/1	0.284
23/4	0.186
19/1, 20/1, 21/1	0.056
योग :	0.858

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चरगुवा से गुन्दरई मार्ग (सड़क निर्माण) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

रा. प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बुरहानपुर
(ख) तहसील—बुरहानपुर
(ग) ग्राम—लालबागमाल, मोहम्मदपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.160 हेक्टेयर

सिन्धीबस्ती—मोहम्मदपुरा—रेणुका मन्दिर तक (4 लेन) सड़क निर्माण

खसरा नम्बर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
ग्राम—लालबागमाल	
117	0.050
194	0.070
195	0.050
196	0.040
197	0.070
198	0.060
202	0.080
203	0.050
205/2	0.020
245	0.030
246/1	0.010
248	0.060
256	0.020
257	0.030
241	0.070
242	0.030
243	0.120
249	0.030
250	0.060
254	0.010
योग :	0.960
ग्राम—मोहम्मदपुरा	
237/3	0.020
237/6	0.010
237/5	0.100
237/1	0.010
237/4	0.030
239/2	0.030
239/3	0.050
239/4	0.030
238/1	0.130
238/2	0.050
330/5	0.010
330/7	0.010
330/8	0.010
330/9	0.010
330/3	0.130
567/2	0.200
569/1	0.050
569/2	0.050
569/3	0.030
569/4	0.050
570/2	0.030
570/1	0.040
567/1	0.030
567/2	0.030
561	0.310
559/2	0.280
628	0.280

(1)	(2)
631	0.050
634	0.050
653	0.050
655	0.020
656/1	0.020
योग :	2.200
महायोग :	3.160

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—सिन्धीबस्ती-मोहम्मदपुरा-रेणुका मन्दिर तक (4 लेन) सड़क निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बुरहानपुर तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बुरहानपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि बड़वाई-चपलासिर की नहर के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—गौहरगंज
(ग) ग्राम—चपलासिर, बड़वाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.615 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हेक्टर में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (3)
	ग्राम—चपलासिर	
22/2	1.534	0.251
214/4/1/1	1.052	0.032
	ग्राम—बड़वाई	
4/2	6.120	0.332
योग :	8.706	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—बड़वाई चपलासिर की नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) एवं अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी, गौहरगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 18 जनवरी 2013

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—बगबाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.062 हेक्टर.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
3, 4, 5 / 1/1/2 क	0.065
3, 4, 5 / 2/2 ख	0.057
3, 4, 5 / 1/1/1/2/1	0.235

(1)	(2)
3, 4, 5 / 1/1/1/2	0.097
3, 4, 5 / 2/1	0.105
3, 4, 5 / 2/2क	0.008
80/1क	0.097
77, 78	0.246
91, 92 / 1/1/1/2	0.210
91, 92 / 2/1	0.170
96,101,102,106,107 / 1/1	0.364
96,101,102,106,107 / 1/2	0.202
96,101,102,106,107 / 2/1ख	0.169
96,101,102,106,107 / 2/1ग	0.161
142, 143, 147 / 2/1	0.081
148/1	0.016
148/2	0.364
151	0.073
152, 154, 156 / 1क	0.186
152, 154, 156 / 1ख	0.526
172, 174 / 3	0.040
172, 174 / 4	0.315
175, 176, 177, 478 / 176/2	0.040
181/1	0.089
181/2	0.146
कुल योग :	4.062

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना बगबाड़ा वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—कुमनताल
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.580 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34/1	0.097
33	0.048
32	0.081
30/3	0.210
29/3	0.222
26/2/2/3	0.137
26/1/1ख	0.081
26/1ग	0.182
21/2/1/2/1	0.178
21/2/1/2/2	0.065
21/2/1/3	0.174
21/2/1/4/1	0.089
141/1, 141/2 / 1	0.073
140/1/1ख	0.024
140/1/2ख	0.186
140/1क	0.170
140/2	0.138
140/2	0.048
140/2	0.105
366/138 / 1	0.202
139/1	0.105
139/2	0.065
366/138 / 2	0.020
219/2ख	0.040
219/1क	0.227
219/1ख	0.044
224, 225, 227/3	0.222
223,226,379/223/2/2/1	0.146
223,226,379/223/2/1	0.097
222/1क	0.073
222/1/1/1ख	0.016
222/2, 330, 336, 337/3/1	0.336
222/2, 330, 336, 337/1	0.154
334/1	0.057
339, 340 / 1/1	0.113

(1)	(2)
339, 340 / 1/2	0.097
339, 340 / 2क/1	0.113
339, 340 / 2क/2	0.097
341/1	0.048
योग :	4.580

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—गोपालपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.052 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
45, 48/2 49, 50 3/2/3 ख	0.065
49, 50/2 1/1/3/4/1/1	0.073
49, 50/2 1/1/3/4/1/2	0.113
49, 50/2 1/1/2/3/4/1/3/2	0.073
49, 50/2 1/1/2/3/4/1/3/2	0.077
49, 50/2 1/1/2/3/4/1/3/1क	0.166
49, 50/2 1/1/2/3/4/2	0.154
49, 50/2 1/1	0.182
52/2/3,289/51,313/51	0.178
53/1/2	0.271
64/1क	0.129
64/1/1/1ख	0.036
64/1/1/2ख	0.080
64/1ख/2	0.113
64/1ग	0.247
64/1घ	0.218
76/2/2/1 77,78,79,279/80	0.016
76/2/2/2 77,78,79,279/80	0.182
76/2/1ख 77,78,79,279/80	0.129
76/2/1क 77,78,79,279/80	0.023
76/1 77,78,79,279/80	0.008
86, 87 1/1	0.194
84, 96 1/2	0.332
89,92,93,264,266 287/120, 290/92 1/2ख	0.089
89,92,93,264,266 287/120, 290/92 1/2ग	0.194
89,92,93,264,266 287/120, 290/92 1/2घ	0.093
89,92,93,264,266 287/120, 290/92 1/3	0.097
113,114,115,116,117,118,125 292/114/3	0.299
121/1	0.016
113,114,115,116,117,118,125 292/114/2	0.283
128/1/2	0.182
253, 258 1/1/1ग	0.255
253, 258 1/3/2	0.202
303/253	0.283
योग :	5.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—घोंघरा मध्यम परियोजना गोपालपुर वितरिका भाग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मझौली, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. 114-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—मझौली

(ग) नगर/ग्राम—जुनेर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.18 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
3	0.07
4	0.06
10	0.05
18	0.03
20	0.03
21	0.07
22	0.06
23	0.12
24	0.02
25/1	0.03
25/2	0.05
25/3	0.07
25/4	0.04
25/5	0.04
25/6	0.09
31	0.08
73	0.02
74	0.02
75	0.02
78	0.01
79	0.04
193	0.03
194	0.02
195	0.04
196	0.04
197	0.03
198	0.01
200	0.05
201	0.02
202	0.01
203	0.01
307	0.01
308	0.05
309	0.06
340	0.03
341	0.02
342	0.05
343	0.03
344	0.04
345	0.07
357/1	0.04
357/2	0.04
357/3	0.04
358/1	0.03
358/2	0.03
359	0.01
360	0.03
361	0.01
420/1	0.16
423	0.04
424	0.03
425	0.08
योग . .	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, मझौली कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 116-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—कुसमी
(ग) नगर/ग्राम—शंकरपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.80 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82	0.01
83	0.05
84	0.02
84/418	0.02
85	0.04
109	0.01
111	0.02
112/1	0.01
112/2	0.01
113	0.01
119	0.01
120	0.02
127	0.09
128	0.02
219	0.03
243	0.01
244	0.01
245	004
247	0.06
248/1	0.08
251	0.02
252	0.04
253	0.02
257	0.04
275	0.10
276	0.01
योग . .	0.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बरचर बांध नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, मझौली कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. 188-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.81 हेक्टर.

पटेहरा सब माईनर के नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1119	0.05
1121	0.01
1124/1, 1124/2	0.02
1125	0.04
1126	0.01
1129	0.02
1130	0.02
1131	0.02
1132	0.04

(1)	(2)
1133	0.03
1134	0.04
1148	0.01
1149	0.04
1150	0.01
1151	0.03
1188	0.02
1189	0.02
1190	0.06
1191	0.04
1192	0.01
1193	0.01
1212	0.07
1213	0.05
1214	0.05
1216	0.01
योग (अ) . .	0.73

म.प्र. शासन की भूमि

1267	0.04
1147	0.04
योग (ब) . .	0.08
कुल निजी भूमि . .	0.73
कुल शासकीय भूमि . .	0.08
योग (अ+ब) . .	0.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की मिसिरगवां माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 190-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजीभूमि/शासकीय भूमि पर स्थिति संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—चुरहट

(ग) ग्राम—अमरपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.63 हेक्टर.

चुरहट वितरक नहर अमरपुर माईनर के नहर निर्माण हेतु

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
389	0.02
425	0.02
426	0.02
427	0.16
428	0.10
431	0.05
432	0.07
433	0.05
435	0.04
योग (अ) . .	0.53

म.प्र. शासन की भूमि

390	0.08
587	0.02
योग (ब) . .	0.10
कुल निजी भूमि . .	0.53
कुल शासकीय भूमि . .	0.10
योग (अ+ब) . .	0.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत चुरहट वितरक नहर की मिसिरगवां माईनर नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 192-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—पिपरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —6.792 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
209	0.234
414	0.405
415	0.012
416	0.084
418	0.469
419	0.128
420	0.028
425	0.020
426	0.450
427	0.028
429	0.408
457	0.072
461	0.004
462	0.004
468	0.348
469	0.078
470	0.194
471	0.408
472	0.605
481	0.725
492	1.170
494	0.746
शासकीय भूमि	
495	0.172
योग . .	6.792

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 194-भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सेमरिया

(ग) नगर/ग्राम—सेमरी जागीर

(घ) लगभग क्षेत्रफल —5.805 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208	0.120
217	0.141
218	0.140
219	0.270
237	0.510
238	0.112
239	0.180
240	0.170
241	0.030
259	0.300
260	0.240
262	0.021
263	0.101
264	0.041
265	0.220
266	0.010
286	0.004
288	0.006
289	0.202
290	0.120
291	0.110
295	0.110
296	0.101
297	0.041
312	0.010
313	0.061
314	0.101
315	0.041
316	0.101
317	0.016
332	0.007
334	0.112

(1)	(2)
345	0.126
346	0.320
347	0.548
348	0.168
349	0.230
357	0.160
417	0.004
425	0.130
426	0.038
427	0.120
428	0.041
429	0.110
430	0.061
योग . .	5.805

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना पुरवा टेल माइनर के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 23 जनवरी 2013

क्र. 211-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—पडेरुआ कोठार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.104 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
2/1	0.378	0.026
5	0.384	0.003
6/1	0.032	0.032
6/2	0.016	0.016
6/3	0.016	0.016
7	0.061	0.061
8	0.340	0.040
10	2.307	0.260
11/1	0.041	0.012
89	0.522	0.352
90	0.158	0.088
91	0.445	0.002
93	0.020	0.020
94	0.121	0.018
95/1	0.032	0.010
95/2	0.096	0.010
96	0.109	0.032
97	0.129	0.046
100/1	0.821	0.085
101	1.704	0.087
75	0.354	0.120
73/1	0.062	0.013
76/2	0.237	0.100
141	0.591	0.027
143	1.080	0.011
144	1.290	0.189
145	0.138	0.051
146	0.376	0.060
147	0.162	0.048
148/1	0.125	0.048
139	0.279	0.056
140	0.902	0.176
160	0.174	0.080
161	0.344	0.083
315	0.045	0.020
316	0.045	0.032
317	0.065	0.036
318	0.113	0.020
322	0.061	0.009
323	0.061	0.016
324	0.177	0.056

(1)	(2)	
303	0.032	0.020
304	0.040	0.009
306	0.040	0.013
329	0.251	0.087
334	0.040	0.020
335/1	0.603	0.030
335/2	0.542	0.036
392	0.117	0.044
393	0.421	0.100
394	0.182	0.074
400	0.413	0.420
401/1	0.405	0.104
454	0.380	0.168
457	0.097	0.013
458	1.019	0.094
460	0.381	0.098
467	0.388	0.024
478	0.263	0.014
479	0.628	0.116
480	0.142	0.066
483	0.125	0.020
560	6.624	0.162
510	0.640	0.040
511	0.478	0.110
512	0.583	0.024
513	0.223	0.080
	योग . .	4.104

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 213-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—बगदरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.923 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर (1)	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (2)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
9	1.343	0.152
10	0.551	0.128
11	0.401	0.100
12	0.397	0.096
13	0.045	0.016
48/1	0.587	0.064
48/2	0.186	0.040
60	0.696	0.140
61	0.425	0.008
62	0.530	0.160
82	0.247	0.084
83	0.376	0.136
121	1.218	0.120
122	0.142	0.016
124	1.550	0.200
125	0.093	0.016
129	0.150	0.032
130	0.150	0.024
131	0.194	0.060
133	0.057	0.008
134	0.085	0.020
135	0.551	0.016
137	0.502	0.080
138	0.057	0.057
139	1.173	0.150
	योग . .	1.923

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 215-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—बेला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.044 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
86	0.121	0.004
87	0.093	0.003
88	0.154	0.080
89	0.065	0.032
90	0.166	0.056
79/1	0.138	0.004
80/1	0.032	0.010
80/2	0.012	0.006
81	0.421	0.032
93/1क	0.421	0.120
93/2	0.121	0.080
93/3	0.417	0.040
91	0.089	0.032
(1)	(2)	
92/1	0.040	0.011
92/2	0.040	0.015
92/3	0.012	0.003
95/2	1.133	0.100
95/3	0.474	0.008
96/1	0.053	0.008
97	0158	0.008
100	0.101	0.009
101	0.081	0.002
102	0.433	0.086
103	0.745	0.039
377	0.190	0.190
118	0.235	0.053
119	0.271	0.058
120	0.024	0.007
121	0.275	0.062
371	0.032	0.032
372	0.036	0.036
346	0.053	0.053
347	0.321	0.038
257	0.186	0.082
258	0.016	0.007
262	0.146	0.077
263	0.146	0.067
274	0.085	0.014
275	0	0.043
276/1	0.105	0.040
276/2	0.065	0.037
277		0.019
278	0.008	0.008
298	0.016	0.016
299	0.287	0.075
297	0.020	0.002
296/1	0.085	0.036
296/2	0.086	0.036
295	0.142	0.058
294	0.073	0.014
293	0.040	0.031
292	0.040	0.040

(1)	(2)	
291	0.441	0.010
289	0.158	0.068
288	0.061	0.024
287	0.032	0.002
686	0.117	0.117
687	0.061	0.061
699/1	0.056	0.013
699/2	0.061	0.013
701	0.053	0.024
702	0.057	0.034
703	0.053	0.053
704/1	0.113	0.051
704/2	0.061	0.011
706	0.081	0.024
709	0.012	0.012
710	0.069	0.007
711	0.061	0.029
716/1	0.101	0.030
716/2	0.101	0.030
716/3	0.083	0.020
716/4	0.101	0.025
723	0.397	0.154
725/1	0.065	0.045
725/2	0.028	0.013
729	1.032	0.088
	योग . .	3.044

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमडा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 217-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—गुढ़वा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.334 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
1041	0.081	0.023
1042/1	0.022	0.002
1043	0.032	0.007
1044	0.016	0.008
1045	0.186	0.088
1046/क	0.016	0.016
1047/क	0.012	0.012
1047/ख	0.012	0.012
1048/क	0.085	0.085
1048/ख	0.089	0.063
1049/क	0.034	0.034
1049/ख	0.035	0.035
1050	0.057	0.007
1055/1	0.032	0.019
1056/1	0.024	0.011
1056/2	0.024	0.024
1056/3	0.057	0.057
1056/4	0.024	0.024
1056/5	0.024	0.024
1056/6	0.041	0.041
1057/1	0.081	0.036
1057/2	0.077	0.036
1076/1	0.097	0.040
1077	0.127	0.121
1078	0.077	0.012
1081	0.109	0.059
1082	0.166	0.017

(1)	(2)	
1085	0.101	0.008
1146	0.575	0.045
1149/1क	0.081	0.010
1149/1ख	0.085	0.010
1150	0.113	0.019
1153/1	0.012	0.008
1153/2	0.012	0.012
1154/1	0.065	0.050
1154/2	0.065	0.065
1154/3	0.065	0.065
1154/4	0.065	0.050
1155	0.105	0.050
1158/1	0.409	0.020
1165	0.040	0.040
1166	0.283	0.135
1170	0.065	0.032
1171/1	0.105	0.004
1172	0.053	0.008
1173	0.672	0.313
1174	0.664	0.220
1434/1	0.202	0.040
1435/1	0.190	0.040
1435/2	0.190	0.055
1436	0.506	0.506
1437	0.008	0.008
1440	0.628	0.166
1441	0.223	0.060
1442	0.045	0.036
1443	0.085	0.067
1445	0.016	0.016
1446	0.012	0.008
1451	0.518	0.010
1523/1	0.202	0.010
1523/2	0.405	0.100
1523/3	0.607	0.160
1524/1	0.114	0.032
1524/2	0.126	0.040
1524/3	0.258	0.120
1525	0.024	0.024
1526	0.178	0.12
1527	0.162	0.050
1530	0.032	0.032
1532	0.186	0.186
1533	0.049	0.029
1540	0.166	0.066
1541/1	0.117	0.040
1541/2	0.117	0.040
1541/3	0.118	0.040
1542/2	0.206	0.110
1550/1	0.040	0.040
1550/2	0.020	0.020
1550/3	0.020	0.020
1552/1क	0.210	0.060
1552/1ख	0.267	0.040
1552/2	–	0.070
1552/3	–	0.076
1553/1क	0.016	0.010
1553/1ख	0.016	0.010
1553/2	0.032	0.020
1555/1क	0.016	0.007
1555/1ख	0.016	0.008
1555/2	0.036	0.015
1556/2	0.331	0.200
1559/1	0.234	0.004
1559/2	0.240	0.004
1610	0.849	0.200
1549	–	0.220
	योग . .	5.334

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्‌वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 219-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—शिवपुरवा 601

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.718 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	
441/2	3.595	0.440
442	0.419	0.072
431	0.299	0.008
430	0.243	0.012
429	1.890	0.308
426	0.283	0.120
427		0.002
423	0.675	0.094
421/2	3.405	0.228
420	0.890	0.080
419	0.927	0.084
418	0.830	0.074
417	0.591	0.038
411	0.405	0.078
408	1.206	0.080
	योग . .	1.718

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिवपुरवा शाखा नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 221-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि में स्थित परिसम्पत्तियों की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—गुढ़

(ग) ग्राम—खोखरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.236 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		योग
		पूर्व में अर्जित	अतिरिक्त अर्जित	
(1)	(2)	(3)		(4)
44	0.450	0.122	0.013	0.135
45	0.441	0.017	0.043	0.060
46	0.498	-	0.070	0.070
47/2	0.688	-	0.110	0.110
50	0.172	0.899	0.050	0.949
			योग . . 0.236	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु उपरोक्त खसरों की भूमि एवं अर्जित किये जाने वाले क्षेत्रफल पर स्थित परिसम्पत्तियों का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 जनवरी 2013

प्र. क्र. 97-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—टिहोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.626 हेक्टेयर

सर्वे नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमति रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)
1051	2.822	0.17
1046	0.972	0.32
1045	3.481	0.04
1047	3.898	0.15
1044	3.187	0.39
1040	2.633	0.05
1039	2.236	0.39
1033	2.508	0.34
1028	0.658	0.32
1027	3.011	0.34
1020	1.411	0.116
योग . .	26.817	2.626

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर की शाखा काशीपुर नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी ग्वालियर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 16 जनवरी 2013

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—खरसानिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.237 हेक्टेयर

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
146/1/क/1	0.291
146/1/क/2	0.162
146/4	0.162
146/3	0.008
146/2	0.024
143/2/2/ख, 247/143	0.040
143/2/1/ख, 247/143	0.073
143/2/2/क, 247/143	0.073
143/2/1/क, 247/143	0.134
143/1/3, 247/143	0.016
144/1/3	0.182
144/1/1/क	0.081
144/1/1/ख	0.008
140/1/ख	0.137
32/2/1, 123/2/1	0.165
32/2/3/2/123	0.100
32/1/2, 123/1/2	0.008
32/1/1, 123/1/1	0.971
30	0.323
27/2/4, 28, 244/28	0.330
27/1, 28, 244/28	0.150
22/1, 24	0.245
23	0.384
22/2, 24	0.198
2/2	0.300
1/2	0.069
2/1	0.086
1/1	0.769
147/2/2	0.048
147/3/2	0.040
147/2/1/ख	0.174
147/3/1	0.150
152	0.044
154/2	0.143
154/1/2/क	0.050

(1)	(2)
154/1/1/ख/2	0.160
208/2	0.004
209/2/2/क	0.016
209/1/1/3	0.061
209/2/2/ख/1	0.210
209/1/1/2	0.016
210/1/1, 211, 212/1	0.016
210/1/2	0.105
210/2, 211, 212/2	0.250
213/1	0.105
213/2	0.081
213/3	0.160
214/1/ख, 215, 216, 217, 218	0.600
214/2/2, 215, 216, 217, 218	0.750
220/1/1/1/क, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.186
220/1/1/1/ख, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.801
220/2/क, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.364
220/1/4, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.121
220/1/2, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.243
220/1/3, 221, 223, 256/223/1, 256/223/2	0.850
योग . .	11.237

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोलार परियोजना की खरसानिया उपनहर एवं हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीहोर

(ख) तहसील—नसरुल्लागंज

(ग) ग्राम—बीजला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.093 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
7/3/1ग	0.300
6/2/3क	0.210
6/1/2/1क/2ख	0.348
6/1/2/3	0.050
5/3/1/1/ख6/1	0.575
2/2/3/1, 5/2	0.080
2/2/3/3, 5/2	0.336
2/2/3/4, 5/2	0.350
2/2/3/5, 5/2	0.198
2/2/3/6, 5/2	0198
2/2/3/7, 5/2	0.324
2/1/2/2/क, 2/3	0.101
2/2/2/क, 5/2	2.580
2/2/2/ख, 5/2	0.596
2/1/2/2/ख, 2/3	0.077
2/2/3/2, 5/2	0.672
2/1/2/1/1/क, 2/3	0.050
2/1/2/1/1/ख/2, 2/3	0.048
योग . .	7.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कोलार परियोजना की खरसानिया उपनहर एवं हाल्याखेड़ी माइनर के निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी नसरुल्लागंज/कार्यपालन यंत्री, कोलार नहर संभाग, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 24 जनवरी 2013

भू-अर्जन प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.**शुद्धि पत्र**—प्र.क्र.10-अ-82-2012-13.—ग्राम चांदेल, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा, कृषि भूमि अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्घोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र (भाग-1) के पृष्ठ क्रमांक 294, दिनांक 18 जनवरी, 2013 को सेवाभूमि सर्वे नम्बर 153 अर्जनीय रकबा, 0.97 हैक्टेयर का त्रुटिपूर्ण प्रकाशित होने से विलोपित किया जाता है. संशोधित प्रविष्ट निम्नानुसार है :—

(घ) ग्राम का लगभग अर्जनीय क्षेत्रफल 9.34 हैक्टेयर के स्थान पर शेष अर्जनीय क्षेत्रफल 8.37 हैक्टेयर पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. D-200-दो-3-420-80-भाग दस.—श्री आर. पी. पाण्डे, सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को उनके अवकाश लेखे में संचित अवकाश में से 226 दिवस (दो सौ छब्बीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

गणना-पत्रक

1.	श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई): उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का नियुक्ति दिनांक.		17-2-1977
2.	सेवानिवृत्ति दिनांक	:	31-12-2012
3.	नियुक्ति दिनांक 17-2-1977 से दिनांक 9-3-1987 तक कुल सेवा अवधि.	:	10 वर्ष 21 दिन
4.	दिनांक 10-3-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.	:	25 वर्ष 9 माह 21 दिन.
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	10×15=150 दिन
6.	कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (1 वर्ष में 7 दिन की दर से तथा 2 वर्ष में 15 दिन की दर से).	:	24=12×15=180 दिन 1×7=7 दिन
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	:	337 दिन
8.	**घटाइये:**—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ	:	111 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता.	:	226 दिन

(सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2012 को शेष अर्जित अवकाश 240 दिन).

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. C-497-दो-2-67-2010.—श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई. एल. आर. एण्ड एग्जामिनेशन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 6 दिसम्बर 2010 से 5 दिसम्बर 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. C-481-दो-2-55-12.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2009 से 31 अक्टूबर 2011 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-483-दो-2-39-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, तत्कालीन अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, होशंगाबाद वर्तमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2005 से 31 अक्टूबर 2007 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C-485-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 6 से 8 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-487-दो-2-69-2000.—श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द मोहन खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द मोहन खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-489-दो-2-38-2011.—श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विमल कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विमल कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-491-दो-2-49-2007.—श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 24 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जी. के. शर्मा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. के. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-493-दो-2-18-2008.—श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 17 से 31 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-495-दो-2-05-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 27 नवम्बर से 5 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 एवं 26 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-499-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 22 से 27 नवम्बर 2012 तक छः दिन का तथा दिनांक 3 से 10 दिसम्बर 2012 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2013

क्र. C-538-दो-2-34-2010.—श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को दिनांक 22 से 25 दिसम्बर 2012 तक चार दिन का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2012 तक चार दिन शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना को सतना पुनःपदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-539-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2012 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 5 नवम्बर 2012 तक दो दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-447-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 21 जनवरी 2013

क्र. C-557-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 29 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-559-दो-2-18-ए-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 9th January 2013

No. C-264-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhat Kumar Mishra, Presiding Officer of the Court of Ist ASJ, Betul for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-266-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri M. P. Tiwari, Presiding Officer of the Court of Ist ASJ, Chhindwara for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-268-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Savita Dubey, Presiding Officer of the Court of VIIth ASJ, Indore for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-270-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Satish Chandra Rai, Presiding Officer of the Court of XVth ASJ, Jabalpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-272-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. G. Kothe, Presiding Officer of the Court of IIIrd ASJ, Raisen for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-274-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri B. P. Pandey, Presiding Officer of the Court of Vth ASJ, Rewa for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-276-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Anuradha Shukla, Presiding Officer of the Court of IVth ASJ, (Electricity Act) Satna for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-278-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Anil Kumar Agrawal, Presiding Officer of the Court of AJ to IVth ASJ, Tikamgarh for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. C-280-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Sayeeda Bano Rehman, Presiding Officer of the Court of Special

Judge (Electricity Act) Bhopal for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

By order of the High Court,
ABHAI KUMAR, Registrar (DE).

जबलपुर, दिनांक 9 जनवरी 2013

क्र. D-202-दो-3-16-2007.—श्री व्ही. बी. सिंह, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 24 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 दिसम्बर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. बी. सिंह, एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही. बी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 15 जनवरी 2013

क्र. C-373-दो-2-3-2013.—श्री जितेन्द्र भादकरे, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 5 से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 9 दिसम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र भादकरे, रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र भादकरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आई.टी.) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-375-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-377-दो-14-29-86.—श्री किशोर कुमार पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर कुमार पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर कुमार पिथवे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. C-501-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 15 से 18 जनवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 जनवरी 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 17 जनवरी 2013

क्र. 73-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती सईदा बानो रहमान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-2, विद्युत् अधिनियम, 2003, भोपाल.	सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एम. के. मुदगल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
(निरीक्षण एवं सतर्कता).

Jabalpur, the 9th January 2013

No. C-256-I-7-3-2012 (Part-I).—The following list of Holidays and Vacations for the Subordinate Civil Courts during the Year 2013 prepared by the High Court and approved by the State Government as required by Section 21 of the Madhya Pradesh Civil Courts Act, 1958, is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calender	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Id-Milad Un-Nabi	25-1-2013	Friday
2	Republic Day	26-1-2013	Saturday
3	Holi (Dhuredi)	27-3-2013	Wednesday
		28-3-2013	Thursday
4	Good Friday	29-3-2013	Friday
5	Gudi Padwa	11-4-2013	Thursday
6	Ramnavmi	19-4-2013	Friday
7	Mahaveer Jayanti	24-4-2013	Wednesday
8	Id-Ul-Fitar	9-8-2013	Friday
9	Independence Day	15-8-2013	Thursday
10	Raksha Bandhan	20-8-2013	Tuesday
11	Janmashtmi	28-8-2013	Wednesday
12	Ganesh Chaturthi	9-9-2013	Monday
13	Gandhi Jayanti	2-10-2013	Wednesday
14	Dussehra (13-10-2013)		
		14-10-2013	Monday
		15-10-2013	Tuesday
15	Id-Ul-Zuha	16-10-2013	Wednesday
16	Deepawali (3-11-2013)	2-11-2013	Saturday
		4-11-2013	Monday
		5-11-2013	Tuesday
		6-11-2013	Wednesday
		7-11-2013	Thursday
		8-11-2013	Friday
17	Moharrum	14-11-2013	Thursday
18	Christmas Day	25-12-2013	Wednesday

Total : 25 Days

Notes.—1. Mahashivratri dated 10-3-2013, Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi, dated 14-4-2013, Mahanavmi/ Dussehra dated 13-10-2013, Deepawali dated 3-11-2013, Gurunanak Jayanti dated 17-11-2013 falls on Sunday & Mahaashtmi dated 12-10-2013, falls on closed Saturday therefore these holidays are not declared separately.

2. Saturdays falling on 12th January, 9th February, 9th March, 13th April, 11th May, 8th June, 13th July, 10th August, 14th September, 12th October, 9th November, 14th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.

3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 20th May, 2013 to 14th June, 2013 and Winter Vacation from 23rd December 2013 to 31st December, 2013.

4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.

5. The District Judge of the concerned District shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.

The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III-6-8/85 Pt-II dt. 26-5-2010.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2013

क्र. 62-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश (वर्तमान में पीठासीन अधिकारी फास्ट ट्रैक कोर्ट के पद पर कार्यरत) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए) 2-2012-इक्कीस-ब(एक), भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित हैं, स्तम्भ (2) में उल्लिखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानांतरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

सारणी

सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) का नाम (1)	वर्तमान पदस्थापना का स्थान (2)	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान (3)	सत्र खण्ड का नाम (4)	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ (5)	न्यायालय में बैठने का स्थान (6)
1. श्री हरीश कुमार कौशिक	दतिया	दतिया	दतिया	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.	दतिया
2. श्री अनिल कुमार सिंह	विदिशा	विदिशा	विदिशा	चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.	विदिशा
3. श्री संजय कुमार द्विवेदी	मऊगंज	मऊगंज	रीवा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	मऊगंज
4. श्री किसना अतुलकर	अमरवाड़ा	अमरवाड़ा	छिन्दवाड़ा	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	अमरवाड़ा
5. श्री प्रकाश चन्द्र	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.	उज्जैन
6. श्री प्रकाश चन्द्र आर्य	बासौदा	बासौदा	विदिशा	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.	बासौदा
7. श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह	महू	महू	इन्दौर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित नवनिर्मित न्यायालय में.	महू
8. श्री भूरेलाल प्रजापति	जावरा	जावरा	रतलाम	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित न्यायालय में.	जावरा

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.